राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.5(294)/निपेवि/नियम/2019/पार्ट.3/ 1521-75 H दिनांकः– 28.05.2019

1 अति. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय (समस्त)..........................(राज.)
2 कोषाधिकारी (समस्त)...
3 सहायक निदेशक प्री–2016 अनुभाग, कार्यालय हाजा।

विषयः– वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.2018 एवं 18.07.2018 के तहत दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत पेशनरों की पेंशन/पारिवारीक पेंशन संशोधन करने के संबंध में।

संदर्भः– वित्त (पेंशन) विभाग, राज. जयपुर का पत्र क्रमांक प.10 (7) वित्त/राजस्व /2013/लूज/दिनांक 10.05.2019.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के पत्र दिनांक 15.3.2019 के द्वारा जिन प्री–2016 के प्रकरणों की पत्रावली पेंशन विभाग द्वारा बीड आऊट की जा चुकी है, उन प्रकरणों के रिकार्ड के अभाव में निस्तारण हेतु प्रस्ताव जिस वर्ष में पेंशनर सेवानिवृत/कर्मचारी की मृत्यु हुई है, उस समय पेंशनर के द्वारा धारित पद हेतु देय प्रभावी वेतन श्रृखला के न्यूनतम वेतन व 30 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा मानते हुये राज्य सरकार को भिजवाया गया था।

राज्य सरकार के वित्त (पेंशन) विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प.10 (7)वित्त/राजस्व/2013/लूज/दिनांक 10:05.2019. के द्वारा यह निर्देश दिये है कि वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.2018 एवं 18.07.2018 के तहत दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेंवानिवृत पेंशनर्स की पेंशन संशोधित करने के संबंध में वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त अभिमत दिनांक 03.05.2019 की छायाप्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी है।

उक्त अभिमत के अनुसार वित्त (नियम) विभाग के पेंशन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति इस शर्त पर प्रदान की है कि विभाग द्वारा प्रथमतः बैक के पास उपलब्ध पीपीओं के आधार पर पेंशन संशोधन का कार्य किया जावें।

उक्त प्राप्त अभिमत के अनुसार जिन पेंशन प्रकरणों की पत्रावलियॉ निदेशालय पेंशन/क्षे.कार्या. पेंशन विभाग में बीड आऊट हो चुकी है। उन प्रकरणों की संबंधित बैंक से पत्रावली संबंधित कोषालय के माध्यम से निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन, द्वारा मंगवाकर उसमें उपलब्ध पीपीओं, संशोधित पीपीओं एवं वर्णात्मक नामावली की फोटोप्रतियॉ करवाकर विभाग की पत्रावली तैयार की जावें तथा उक्त पीपीओं में निर्धारित पेंशन के आधार पर अगर वेतन अंकित नही किया हुआ है तो पेंशन के आधार पर गणना कर वेतन ज्ञात कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

अगर किसी प्रकरण की पत्रावली बैंक से प्राप्त नहीं होती है, तो उन प्रकरणों के संबंध में पत्र के पैराग्राफ सं.1 के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(जमन लाल जांगिड)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशेषाधिकारी, पेंशन।
2. उप निदेशक (IFPMS)
3. ए.सी.पी., कार्यालय हाजा को भिजवाकर लेख है कि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें व सभी क्षेत्रिय कार्यालय/कोषाधिकारी को मेल करें।
4. तकनीकी निदेशक, NIC.

संयुक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक प.10(7) वित्त / राजस्व / 2013 लूज   जयपुर दिनांक 10/5/2019

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

Rules
15.5.19

विषयः—वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.2018 एवं 18.07.2018 के तहत दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स की पेंशन / पारिवारिक पेंशन संशोधन करने के संबंध में।

संदर्भः—आपका पत्र क्रमांक प.5(294) / निपेवि / नियम / 2019 / पार्ट—3 / 761—एच दिनांक 15.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 06.06.2018 एवं 18.07.2018 के तहत दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स की पेंशन / पारिवारिक पेंशन संशोधन करने के संबंध में वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त अभिमत दिनांक 03.05.2019 की छायाप्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। A

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
जयपुर, राज.
14 MAY 2019
1646
पत्र प्राप्ति
23

भवदीय,

10.5.19
वरिष्ठ लेखाधिकारी

टिप्पणी (क्रमिक)

डायरी संख्या | रा.सं.2

609 अनु. 603–608/एन का परीक्षण वित्त (नियम) विभाग की पत्रावली क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2017 पार्ट–।।। पर किया गया। प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव पर सहमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि विभाग द्वारा प्रथमतः बैंक के पास उपलब्ध पी.पी.ओ. के आधार पर पेंशन संशोधन किये जाने की कार्यवाही की जावे।

610 यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–।

5919 00035
3 MAY 2019

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त(पेंशन) विभाग

अनु० 609/एन अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रकरण में अंकितानुसार कार्यवाही हेतु निदेशक पेंशन विभाग को सूचित किया जावेगा।

3/5/19

शासन सचिव, वित्त (बजट)

(Manju Rajpal)
Secretary Finance (Budget)

उ० अंकितानुसार कार्यवाही करें

3/5/19

Sr AO (Pension)

AAO(P)

08/5/19

D.A.

8/5/19